

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

K.d/1/2A
25/01/23

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं विजय कुमार सिंह पिता - स्व. सरजू सिंह

श्री शबिन कुमार सिंह

ग्राम सिकन्दरपुर पो. सिकन्दरपुर थाना सकुड़ावा

सावन विहार

जिला अहमदाबाद का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा तिरौथा
2. थाना तिरौथा
3. थाना नं० 244
4. खाता नं० 472 पुराना खाता नं० - 273
5. प्लॉट नं० 4080/7778 एवं 4081/7779 पुराना प्लॉट नं० - 1986
6. रकबा 03.510 मर्क 2-27 बी
7. भूमि का किस्म खेती
8. अधतन रसिद नं० 062227/456 वर्ष - 2022-23
9. दा० खारिज वाद संख्या 1766/2010-11

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

① विजय कुमार सिंह

② शबिन कुमार सिंह

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....२०...../2023

आवेदक 1 विजय कुमार सिंह 2 रविन्द्र कुमार सिंह दोनों के पिता-स्व० सरयु सिंह साकिन-सिकन्दरपुर, टोला सावन बिगहा, पोस्ट-सिकन्दरपुर, थाना-सकुराबाद, जिला-जहानाबाद (बिहार) द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
तिलैया	244	472	4080/7778 4081/7779	2.27 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक ...३१...../.....०१...../2023 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा


31.01.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-472, प्लॉट सं०-4080/7778 एवं 4081/7779 दोनों का मिला-जुला रकवा-3 डी० भूमि 1 विजय कुमार सिंह 2 रविन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० सरयु सिंह के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं०-63 भाग सं०-44 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में विविध वाद सं०-1766/2010-11 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-5262 दिनांक-25.05.2007 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-31 दिनांक-24.01.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल छायाप्रति संलग्न किया गया है। मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-472, प्लॉट सं०-4080/7778 एवं 4081/7779 दोनों का मिला- जुला रकवा-2.27 डी० भूमि निबंधन योग्य है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-472, प्लॉट सं०-4080/7778 एवं 4081/7779 दोनों का मिला-जुला रकवा-2.27 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा